31

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 124 / 2022 दायर दिनांक–19–09–2022

माफी मन्दिर श्री सीतारामजी विराजमान वाके ग्राम चारण की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान नाबालिग जरिये निकट मित्र शंकरलाल पुत्र सुगानाराम ति जांगिड़ निवासी चारण की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. शीशराम पुत्र रूपाराम
2. सरदार सिंह पुत्र हरजीराम
3. रूकमणी देवी पत्नी सरदार सिंह

जाति समस्त जाट निवासीगण चारण की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री अशोक कुमार जागिड़
वकील अनावेदकगण :– श्री विप्लव पंडित

प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: आदेश ::–

दिनांक 30–11–2022

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम चारण की ढाणी में मूर्ति मन्दिर श्री सीतारामजी की खातेदारी काश्त की भूमि स्थित है। मूर्ति मंदिर सीतारामजी शाश्वत नाबाबिग है, मन्दिर मूर्ति श्री सीतारामजी की खातेदारी की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 3315 रकबा 1 बीघा 5 बिश्वा, खसरा नम्बर 3316 रकबा 1 बीघा 13 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिश्वा रहे है, जिसको उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित की जावेगी। उक्त खसरा नम्बर को मूर्ति मन्दिर की तरफ से आवेदक व प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 8 पीढ़ियो से काबिज काश्त है। उक्त भूमि की खातेदारी मन्दिर श्री सीताराम के नाम से दर्जशुदा है। आवेदक मन्दिर मूर्ति का निकट मित्र होकर मन्दिर मूर्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के लिये कानून अधिकृत है।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर पुराना 3315 रकबा 1 बीघा 5 बिश्वा, खसरा नम्बर 3316 रकबा 1 बीघा 13 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिश्वा भूमि को हमेशा से ही मन्दिर मूर्ति की तरफ से आवेदक व प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 8 के पूर्वज गणपत व मोहन काश्त करते थे, उक्त गणपत व मोहन से पूर्व उनकी माता नाथी देवी उक्त भूमि [illegible] ती थी, उक्त नाथी देवी के कोई सगा भाई नही था, इस कारण [illegible] के घर पर ही अपने पति ज्वाला के साथ रहने लगी, ज्वाला की [illegible] के कुछ दिन बाद ही हो गई थी, इसके पश्चात नाथी देवी का नाता प्रथा द्वारा छोटू से नाता कर (शादी) दिया गया। इस प्रकार स्वर्गीय नाथी देवी के गणपत व मोहन पुत्र संतान पैदा हुई, जब [illegible] की उम्र 10 वर्ष और मोहन की उम्र 6 वर्ष की थी तब छोटू का भी स्वर्गवास हो गया। इस कारण घर में पुरूष सदस्य के रूप में गणपत ही बड़ा था, इस कारण घर के व राज कार्य के काम गणपत ही करता था और गणपत के नाम से ही राजस्व रिकार्ड कही सही कही गलत अंकित होता रहा। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर पुराना 3315, 3316 के साथ स्व0 गणपत व मोहन की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 3109 रकबा 10 बीघा 9 बिश्वा भी वाके ग्राम चारण की ढाणी तन परसरामपुरा में स्थित रही है। उक्त तीनों खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:12 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

नम्बर की भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से अकेले गणपत के नाम से दर्ज होने के कारण स्वर्गीय गणपत के वारिसान द्वारा सैंटलमेंट के दौरान एक प्रार्थना पत्र सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू–प्रबन्ध विभाग नवलगढ़ के यहां कब्जे काश्त अनुसार पर्चा दिये जाने बाबत पेश किया और यह इश्तदुआ चाही कि उक्त तीनों खसरा नम्बरान में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 के पिता मोहन का हिस्सा 1/2 और 1/2 प्रतिवादी नम्बर 05 व 06 और प्रतिवादी नम्बर 07 व 08 के पिता महावीर का हिस्सा 1/2 दर्ज कर खातेदारी दे दी जावे। इस तथ्य की ताईद तत्कालीन सरपंच गोविन्द सिह द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि गणपत व मोहन पुत्र छोटूराम निवासी चारण की ढाणी दोने सगे भाई है, 1/2 व 1/2 खातेदार के हकदार है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 3315, 3316 जो मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम खातेदारी दर्ज होने के कारण सैंटलमेंट के दौरान वापस मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज हो गई और पुराना खसरा नम्बर 3109 की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 04 लगायत 8 के नाम दर्ज हुई, उक्त खसरा नम्बर पुराना 3109 का इस वाद में कोई विवाद नही है। प्रार्थना पत्र में केवल मूर्ति मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर पुराना 3315, 3316 हाल खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 हैक्टर का ही विवाद है।

अनावेदक नम्बर 01 लगायत 3 का वादग्रस्त भूमि से कभी कोई ताल्लुक नही रहा है और ना ही कभी वादग्रस्त भूमि को काश्त किया है। वादग्रस्त भूमि को मूर्ति मन्दिर की ओर से पूर्व में गणपत व मोहन काश्त करते थे। राजस्व रिकार्ड में स्वर्गीय गणपत के नाम से दर्ज रही है तथा काश्त के लिये खसरा गिरदावरी में काश्त भी स्व0 गणपत के नाम से दर्ज रही है। प्रतिवादी नम्बर 4 विदेश में रहता है, जिसका उक्त वादग्रस्त भूमि हिस्सा 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 05 लगायत 8 का कब्जा काश्त रहा है, प्रतिवादी नम्बर 04 के विदेश रहने व आवेदक शंकरलाल अपनी मजदूरी के सिलसिले में दिल्ली रहता है और प्रतिवादी नम्बर 4 की पत्नी अपने पुत्र शंकरलाल के साथ रहती है। ऐसी स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर अनावेदक नम्बर 1 लगायत 03 ने गैर कानूनी व नाजायज रूप से वादग्रस्त भूमि पर पत्थर व बजरी ईंटे व लोहे की टिन डालकर नाजायज कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य दिनांक 15.08.2022 को चालू कर दिया, जिसकी सूचना आवेदक शंकरलाल को होने पर शंकरलाल ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की ओर कार्यवाही हेतु यह वाद व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रहा है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 हैक्टर भूमि जागीर खालसा होने के पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के रोज आवेदक मूर्ति मन्दिर श्री सीतारामजी को बतौर खातेदार काश्तकार के रूप मे खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हुये और वर्तमान मे मूर्ति मन्दिर की खातेदारी मे दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सम्वत् 2017 से 2035 तक काश्त करने वाले खातेदार प्रतिवादी नं0 4 लगायत 8 के पूर्वज स्व0 गणपत के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है, सम्वत 2035 पश्चात् राज्य सरकार के आदेशानुसार मूर्ति मन्दिर की तमाम भूमि पुनः मूर्ति मन्दिर के नाम [illegible] का आदेश हुआ, [illegible] मूर्ति मन्दिर नाबालिग होने से उसकी भूमि का रख रखाव व संरक्षण तहसील[illegible]लिस थाना अधिकारी, पटवारी हल्का व देवस्थान विभाग तथा हर [illegible] भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को खातेदार हक [illegible] ही कोई व्यक्ति का कब्जा किसी भी रूप में कितने भी समय तक क्यों न रहा हो, मूर्ति मन्दिर [illegible] सुरक्षा के लिये कई प्रकार की राज्य सरकार द्वारा कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी को बतौर अध्यक्ष बनाया गया है, नियमानुसार मूर्ति मन्दिर की भूमि को राज्य सरकार की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण व भूमि का दुरूपयोग करने की सूरत मे राज्य सरकार की भूमि की तरह उनके खिलाफ अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अतिक्रमी व्यक्ति के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:12 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (रा.दे.)
नवलगढ़

33

कानूनी कार्यवाही कर बेदखल किये जाने का प्रावधान है, हल्का पटवारी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने हल्के मे दर्ज मूर्ति मन्दिर की भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण की सूचना तुरन्त तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी को देवे, परन्तु कोई सूचना तहसीलदार को नही देता है, बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर भूमाफिया द्वारा किये गये अतिक्रमण व दुकानों के निर्माण को वैध होने का प्रमाण–पत्र देते हुए इस तरह की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते है कि अमूक अतिक्रमी व्यक्ति का कब्जा काश्त 20–25 साल से चला आ रहा है, जबकि हल्का पटवारी की नौकरी ही 4 वर्ष की हुई हो, इस प्रकार मूर्ति मन्दिर की भूमियों पर नाजायज अतिक्रमण किया जाकर खुर्द–बुर्द की जा रही है, जिसके चलते वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 हैक्टर वाके ग्राम चारण की ढाणी पर अनावेदक नं0 1 लगायत 3 ने गैर कानूनी व नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया और 4 फीट उंचाई तक पुख्ता पत्थरों की दीवार बनाकर दुकानों का निर्माण करने हेतु बना दी है, एक अस्थाई टिन शैड डाल दिया, जब आवेदक मूर्ति मन्दिर के वाद मित्र व काश्तकार शंकरलाल अनावेदक नं0 1 लगायत 3 को ऐसा करने से मना किया तो मारपीट करने पर आमादा हो गये और अब अनावेदक नं0 1 लगायत 3 ने वादी मूर्ति मन्दिर श्री सीतारामजी की खातेदार से भी इन्कार कर दिया है और सार्वजनिक रूप से कहने लगे है कि वादग्रस्त भूमि को हल्का पटवारी से मिलकर झूठे कागजात तैयार करवाकर हमारी खातेदारी मे दर्ज करवा लेगें। वादग्रस्त भूमि सड़क पर लगती हुई है, जहां पुख्ता दुकानो का निर्माण करेंगे और छोटे छोटे आवासीय भूखण्ड बनाकर विक्रय कर खुर्द–बुर्द कर देगें। प्रशासनिक अधिकारी पटवारी वगैरा हमारे करीबी है, जिसके चलते हम जैसे चाहे वैसी रिपोर्ट प्राप्त कर लेगे, इस प्रकार अनावेदक नं0 1 लगायत 3 मूर्ति मन्दिर श्री सीतारामजी की खातेदारी की भूमि को हड़पने के उद्‌देश्य से सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया है। ऐसी हालत मे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर वर्तमान 328 रकबा 0.61 हैक्टर वाके ग्राम चारण की ढाणी को मूर्ति मन्दिर श्री सीतारामजी की खातेदारी काश्त की भूमि घोषित करते हुये राजस्व रिकार्ड यथावत रखे जाने का आदेश करते हुये राजस्व रिकार्ड यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत मे आवेदक के लिये दावा बाबत इश्तकरार हक का पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

यह कि अनावेदक नं0 1 लगायत 3 आपस में मिलकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 हैक्टर मे गैर कानूनी व नाजायज रूप से रातो–रात दिनांक 15.08.2022 को निर्माण सामग्री डालकर पुख्ता दुकानो का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जो करीब तीन–चार फीट उंचाई तक कर लिया, आवेदक मन्दिर की ओर से शंकरलाल व उसके परिवार के सदस्यों जैसे तैसे कर उक्त अवैध निर्माण को रूकवाया अब अनावेदक नम्बर 01 लगायत 03 गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाया जाने के बावजूद भी खाली करने से इन्कार हो गये है और दिनांक 12.09.2022 को शंकरलाल व उसके परिवार वालो को अनावेदक नम्बर 01 लगायत 03 ने वादग्रस्त भूमि [illegible] तेदारी की होने का व अपने कब्जे काश्त की होने का खुला ऐ[illegible] पर [illegible] से काबिज काश्त शंकरलाल व उसके परिवार के सदस्य प्र[illegible] पर जान से मारने को आमादा हो गये है। ऐसी हालत मे वादग्रस्त भूमि [illegible] नम्बर 328 रकबा 0.61 हैक्टर भूमि पर अनावेदक नम्बर 01 लगायत 03 बतौर अतिक्रमी है, जि[illegible] वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा आवेदक मूर्ति मंदिर व मूर्ति मन्दिर की ओर से पीढियों से काश्त करने वाले काश्तकार आवेदक शंकरलाल व प्रतिवादी नम्बर 04 लगायत 08 को दिलवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक नम्बर 01 लगायत 03 ने नाजायज व गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है और भूमि में से कुछ भाग पर पुख्ता दुकानों का निर्माण कर भूमि की किस्म परिवर्तित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:12 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. जे. एम. (पा. दे.)
मंडलगढ़

रहे है तथा भूमि के छोटे–छोटे भूखण्ड काटकर जरिये नोटेरी विक्रय कर रहे है तथा भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन कर रहे है, जब शंकरलाल ने अनावेदक नम्बर 01 लगायत 03 को ऐसा करने से मना किया तो दिनांक 12.09.2022 को मूर्ति मन्दिर की भूमि होने से इन्कार कर अपनी स्वयं की भूमि होने का ऐलान किया और आवेदक मूर्ति मन्दिर की ओर से काश्त करने वाले खातेदारों व ग्रामीणों को धमकी दी कि हम जाट जाति के लोग है इस इलाके में हमारा वर्चस्व है। वर्णित भूमि को भूखण्डों में विभक्त कर पुख्ता दुकानो का निर्माण कर जरिये नोटेरी विक्रय कर देगे और भूमि को खुर्द बुर्द कर देगे तुम और मूर्ति मन्दिर हमारा कुछ नही बिगाड़ सकते है। पटवारी हल्का व प्रशासनिक अधिकारी हमारे करीबी लोग है अगर अनावेदक नम्बर 01 लगायत 03 अपने इस नाजायज हरकत में सफल हो गया तो आवेदक मूर्ति मन्दिर श्री सीताराम की भूमि खुर्द–बुर्द हो जावेगी और वादी मूर्ति मन्दिर को व्यर्थ की मुकदमें बाजी में फंसना होगा, जिसमें समय व धन की बर्बादी होगी। आवेदक मूर्ति मन्दिर व न्यायालय का अमूल्य समय बर्बाद होगा, जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से अंसभव होगा, ऐसी स्थिति में अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि को न तो विक्रय करे और न ही छोटे छोटे प्लाट काटकर पुख्ता दुकानों का निर्माण कर भूमि को अकृषि में परिवर्तित करे तथा न ही वादग्रस्त भूमि में कच्चा पक्का निर्माण कर भूमि को वेस्ट व डेमेज करे, न ही भूमि की शक्ल सूरत परिवर्तित कर भूमि को खुर्द बुर्द कर वादग्रस्त भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

वादग्रस्त भूमि मूर्ति मन्दिर श्री सीताराम जी नाबालिग होने से उसकी सुरक्षा की जानी आवश्यक है। अनावेदक नम्बर 1 लगायत 03 आपस में मिलकर आवेदक मूर्ति मन्दिर की उक्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से बल पूर्वक वंचित कर दिया है, इससे आवेदक को सालाना 50,000/– रूप्ये से अधिक का नुकसान हो रहा है तथा वादग्रस्त भूमि में खडे खेजड़ी के पेड़ व अन्य पेड़ो से होने वाली आय सालाना 10,000/– रूपये का नुकसान हो रहा है। ऐसी हालत में अनावेदक नम्बर 01 लगायत 03 के खिलाफ क्षतिपूर्ति के रूप में आवदेक सालाना 60,000/– रूपये अनावेदक नम्बर 01 लगायत 03 से प्राप्त करने का अधिकारी है। अनावेदक नम्बर 01 लगायत 03 वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी है, अनावेदक नम्बर 01 लगायत 03 दावा दायरी के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर कब्जा स्वयं नही देते है तो सितम्बर 2022 से लेकर कब्जा नही देने के रोज तक सालाना 60,000/– रूपये अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 से वादी मूर्ति मंन्दिर श्री सीताराम जी को दिलवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

आवेदक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 हैक्टर को अनावेदकगण न तो विक्रय करे और न ही छोटे–छोटे प्लाट काटकर पुख्ता दुकानों का निर्माण कर भूमि को अकृषि में परिवर्तित करे तथा न ही वादग्रस्त भूमि में कच्चा पक्का निर्माण कर भूमि को वेस्ट व डेमेज करे, न ही भूमि की शक्ल सूरत परिवर्तित कर भूमि [illegible] करे अथवा न ऐसा कृत्य अपने अधिनस्थ नौकर–चाकर, प्रतिनिधि आदि से करावे। वा[illegible] भूमि [illegible] मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:12 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद [illegible] दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण की ओर से वकी[illegible] विप्लव पंडित ने अपना वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में बिन्दुवार वर्णित कथनों का खण्डन करते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 328 का राजस्व रिकार्ड मन्दिर श्री सीतारामजी की खातेदारी में वर्तमान में दर्ज होना रिकार्ड की विषय वस्तु है परन्तु दौराने सैटलमेंट कर्मचारियों ने बिना क्षैत्राधिकार के मन्दिर मूर्ति के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गलत रूप से राजस्व रिकार्ड दर्ज करने से भूमि मन्दिर की

नही हो जाती। भूमि गणपत पुत्र ज्वाला की थी। जहां तक पुराने से नये खसरा नम्बर बनने का प्रश्न है रिकार्ड की विषयवस्तु है परन्तु वादी का दर्ज कथन कि उक्त खसरा नम्बर को मुर्ती मन्दिर की तरफ से वादी व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 पीढ़ियों से काबिज काश्त है अस्वीकार है। आवेदक ने उक्त कथन दस्तावेजी साक्ष्य व कब्जे के विपरीत दर्ज किया है। आवेदक ने उक्त मद में कहीं दर्ज नही किया है कि उक्त मन्दिर कहां स्थित है मन्दिर का पुजारी कौन है, आवेदक व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 को मन्दिर ने कब किसके द्वारा किस दस्तावेजात से काबिज किया कुछ भी दर्ज नही किया है आवेदक को काश्त करने हेतु अधिकृत व्यक्ति कौन था उस बाबत भी उल्लेख नही किया आवेदक ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के गरज से गलत कथन दर्ज किया है। आवेदक ने मात्र भूमि को हडपने के लिए तमाम मिथ्या कथन दर्ज किये है आवेदक ना तो नेक्स्ट फ्रेंड है ना ही मन्दिर की ओर से अधिकृत है। आवेदक ने मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धी हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

आवेदक का दर्ज कथन कि वादग्रस्त भूमि.....काश्त करती थी एक साथ व अलग अलग रूंप से अस्वीकार है। गणपत पुत्र छोटू का उक्त खसरा नम्बर से कोई सरोकार नही है उक्त भूमि गणपत पुत्र ज्वाला के हक अधिकार व कब्जे काश्त में थी गणपत पुत्र ज्वाला मोहन पुत्र छोटू को अपने जीवनकाल में देकर चले गये गणपत पुत्र ज्वाला ना औलाद अविवाहित फौत हो गया था। गणपत, मोहन पुत्रान छोटू की माता नाथी देवी का उक्त भूमि से कोई सरोकार नही है ना ही कब्जा रहा है ना ही काश्त रही है ना ही राजस्व रिकार्ड में कभी खातेदारी नाथी के नाम रही है। आवेदक ने उक्त मद में सगा भाई नही होने पीहर चारण की ढाणी अपने पिता गीदाराम के घर ज्वाला के साथ रहने के कथन भी गलत दर्ज किये है। नाथी देवी के पति का नाम ज्वाला नही है ना ही ज्वाला से नाथी का कभी विवाह हुआ ना ही वाद–पत्र में दर्ज किया है कि ज्वाला जन्म कब हुआ, विवाह कब हुआ, ज्वाला की मृत्यु कब हुई छोटू से नाता कब हुआ, गणपत मोहन का जन्म कब हुआ, छोटू की मृत्यु कब हुई जबकि राजस्व रिकार्ड शुरू से ही गणपत पुत्र ज्वाला के नाम से दर्ज है। यदि ज्वाला की मृत्यु हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से पहले हो गई तो क्या हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से पूर्व के आधार पर कानून लागू होगा वास्तव में आवेदक ने दावा प्रस्तुत करने की गरज से तमाम कथन काल्पनिक दर्ज किये है यदि विवादित भूमि गीदा की होती तो गीदा के नाम खातेदारी दर्ज होती गीदा से नाथी के नाम कोई राजस्व अभिलेख होता यदि नाथी के पिता की भूमि होती तो तथाकथित जंवाई ज्वाला के नाम अभिलेख कैसे बनता। कानूनन जंवाई का तो ससुर की सम्पति में राईट ही नही होता है वास्तव में आवेदक के तमाम कथन गलत कथनों को प्रमाणित करते है। उक्त भूमि गणपत पुत्र ज्वाला कौम खाती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। आवेदक मोहन पुत्र छोटू के वारिस है जिनकी खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम चारण की ढाणी में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 318, 323, 329, 332 है जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 के पूर्वज की वल्दीयत गणपत [illegible] है [illegible] गणपत पुत्र जुवाला के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। गणपत पुत्र जुवाला का ही क[illegible] था ग[illegible] पुत्र जुवाला से उक्त भूमि मोहन ने प्राप्त की मोहन के फौत होने [illegible] हिस्सा धन्नाराम पुत्र मोहन ने प्राप्त की दोनो सगे भाई है [illegible] ने उसका 1/2 हिस्सा प्राप्त किया है तब से विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर अनावेदक [illegible] 2 व 3 तथा 1/2 हिस्से पर धन्नाराम पुत्र मोहन काबिज काश्त है जिसके संबंध में तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट भी आई हुई है आवेदक व प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 को कोई कब्जा काश्त विवादित भूमि पर नही है प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 के पूर्वज का नाम गणपत पुत्र छोटू है तथा विवादित भूमि गणपत पुत्र जुवाला की थी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 के पूर्वज का नाम गणपत तथा विवादित भूमि का रिकार्ड गणपत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:12 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (प्रा.दे.)
नवलगढ़

नाम होने के कारण आवेदक ने बेईमानी पूर्वक गणपत पुत्र जुवाला को अपना व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 के पूर्वज बताकर तथा गणपत पुत्र जुवाला के उतराधिकारी गलत रूप से बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक ने उक्त मद में दर्ज कथन कि घर मे.....हकदार है काल्पनिक दस्तावेजी साक्ष्य व वास्तविक स्थिति के विपरीत दर्ज किया है। खसरा नम्बर 3109 का विवादित भूमि से कोई संबंध नही है ना ही रिलिवेन्ट ऑफ स्यूट है। गणपत पुत्र छोटू का विवादित भूमि से कोई सरोकार नही है। आवेदक की प्लीडिंग से ही यह तथ्य जाहिर होता है कि आवेदक ने मन्दिर की भूमि के हितार्थ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना करके निजी स्वार्थ हेतु व्यक्तिगत केपेसिटी में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

वादग्रस्त भूमि का तमाम रिकार्ड गणपत पुत्र ज्वाला के नाम से दर्ज है गणपत पुत्र छोटू का विवादित भूमि से कोई सरोकार नही है। आवेदक का उक्त मद में दर्ज कथन कि वादग्रस्त भूमि 1/2 ....कब्जा काश्त रहा है अस्वीकार है। बाकी इबारत भी गलत दर्ज की गई है। उक्त मद में आवेदक ने तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी को रख रखाव व संरक्षण हेतु अधिकृत करने का उल्लेख किया है तो आवेदक ने किस हैसियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त मद में आवेदक ने अतिक्रमण करने स्वार्थ सिद्धी करने पटवारी पर जो आक्षेप उठाये है गलत रूप से अंकित किये है। आवेदक ने अपने आप को नेक्स्ट फ्रेंड होना दर्ज किया है जो मात्र विवादित भूमि को हडपने के लिए नेक्स्ट फ्रेंड होना प्रस्तुत किया है। वास्तव में उक्त भूमि गणपत पुत्र ज्वाला की थी गणपत पुत्र ज्वाला नाऔलाद फौत हो गया गणपत पुत्र ज्वाला की सुश्रुषा मोहन पुत्र छोटू करता था तथा उसका खेत भी मोहन ही काश्त करता था इसलिए भूमि खसरा नम्बर 328 को गणपत पुत्र ज्वाला मोहन पुत्र छोटू को देकर चला गया। विवादित भूमि गणपत पुत्र ज्वाला के नाम से दर्ज है। गणपत पुत्र ज्वाला का ही कब्जा था। सैटलमेंट विभाग ने दौराने सैटलमेंट मन्दिर के नाम से रिकार्ड बना दिया मोहन के दो पुत्र सुगनाराम जो आवेदक का पिता है व धनाराम पैदा हुये तथा दोनो 1/2–1/2 हिस्से को मोहन की मृत्यु उपरान्त काश्त करने लगे सुगनाराम को रूप्ये की आवश्यकता थी इसलिए सुगनाराम ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 329, 332, 323 व 328 मे से रकबा 0.46 हैक्टर क सौदा प्रतिवादी संख्या 2 से किया। सुगनाराम को विदेश जाना था इसलिए सुगनाराम ने अनावेदक संख्या 1 के पक्ष में एक रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ अर्टोनी भूमि खसरा नम्बर 329, 332, 323 बाबत निष्पादित की तथा खसरा नम्बर 328 रिकार्ड गलत रूप से मन्दिर के नाम होने के कारण एक पॉवर ऑफ अर्टोनी अनरजिस्टर्ड निष्पादित की तथा दिनांक 08.05.2008 को भूमि खसरा नम्बर 323, 332, 329 मे से रकबा 0.17 हैक्टर भूमि का विक्रय पत्र भी निष्पादित करवा दिया जो खातेदारी में सुगनाराम के नाम से दर्ज थी तथा भूमि खसरा नम्बर 328 की खातेदारी में दर्ज नही होने के कारण एक लिखा पढ़ी की गई इस प्रकार खसरा नम्बर 328 मे से रकबा 0.29 हैक्टर भूमि सुगनाराम ने प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये पॉवर ऑफ अर्टोनी अनावेदक संख्या 1 के द्वारा विक्रय की गई जिस पर अनावेदक [illegible] 1/2 हिस्से पर धन्नाराम पुत्र मोहन काबिज है आवेदक प्रतिवादी संख्या 4 [illegible] प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा विक्रय किया गया है कब्जा दिया गया है यहां [illegible] 28.03.2005 को भी रकबा 0.22 हैक्टर का एक विक्रय पत्र [illegible] निष्पादित करवाया है आवेदक ने खसरा नम्बर 323, 332, 329 के संबंध में निष्पादित विक्रय [illegible] को भी न्यायालय में चुनौती दी है तथा अब खसरा नम्बर 328 मे से बेची गई भूमि को प्रश्नगत कर रहा है जबकि विक्रय की गई सम्पति पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 परिवार सहित काबिज है। पटवारी हल्का ने भी कब्जा माना है सर्वे में भी अनावेदक संख्या 2 के नाम से कुआ होना व विधुत संबंध भी जारी है जो सैटल पजेशन का परिचायक है। आवेदक का विवादित सम्पति से कोई संबंध नही है एक तरफ आवेदक स्वयं को अधिकारी होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:12 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज कर रहा है दुसरी तरफ मन्दिर की भूमि होना दर्ज कर रहा है जो एक दुसरे के विरोधाभाषी कथन है। आवेदक अनावेदक संख्या 2 व 3 से रंजिश रखता है जो कृषि भूमि क्रय की है उससे भी चुनौती दी है और अब अपने पिता द्वारा नाबालिक अवस्था में विक्रय की गई सम्पति को प्रश्नगत कर रहा है वर्तमान रिकार्ड मन्दिर के नाम से दर्ज है तो फिर आवेदक कौनसे अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है स्पष्ट नही किया है आवेदक ने बिना कब्जा काश्त बिना अधिकारिता के व्यक्तिगत स्वार्थ से निहित होकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

आवेदक ने उक्त मद में गैर कानूनी व नाजायज रूप से निर्माण करने, आवेदक द्वारा निर्माण रूकवाने, मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने, खुला ऐलान करने, जाने से मारने के तमाम कथन गलत दर्ज कियो है। आवेदक ने उक्त मद में अनावेदकगण को अतिक्रमी होना भी गलत दर्ज किया है। आवेदक ना तो मन्दिर का हितार्थ है ना ही पीढियों से कब्जा काश्त है। शंकर लाल व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का ना कोई हित है ना ही पीढ़ियों से काबिज है ना ही मन्दिर की ओर से अनावेदकगण को बदेखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है आवेदक ने कानून के विपरीत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

आवेदक ने गैर कानूनी कब्जा करने, पुख्ता दुकानो का निर्माण करने, छोटे-छोटे भूखण्ड काटने नोटेरी से विक्रय करने, कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने, धमकी देने समझाने खुर्द-बुर्द करने पटवारी हल्का व प्रशासनिक अधिकारी का करीबी होने के तमाम कथन गलत दर्ज किये है। विवादित भूमि मन्दिर मूर्ति की नही है रिकार्ड गलत बना हुआ है विस्तृत जवाब उपर दिया जा चुका है। खसरा नम्बर 328 मे से सुगनाराम का 1/2 हिस्सा अनावदेक संख्या 2 ने क्रय किया है बाकायदा सहमति के आधार पर कब्जा दिया गया है। आवेदक सुगनाराम का पुत्र है जो पिता द्वारा किये गये कार्य से विबंधित है। सुगनाराम घर का कर्ता खानदान था उसके द्वारा किया गया विक्रय आवेदक व उसकी बहन के विरूद्ध विबंधकारी है उक्त भूमि कृषि भूमि है कृषि भूमि में 1/50 हिस्से तक निवास करने के लिए भण्डारण के लिए पशुपालन के लिए उतरदाता संख्या 2 व 3 को निर्माण कर विधिक अधिकार है आवेदक शंकरलाल का विवादित भूमि पर कब्जा नही है ना ही आवेदक शंकरलाल का कोई विधिक अधिकार है इसलिए कानूनन कब्जा धारक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

आवेदक ने उक्त मद में 50,000/- रूपये का नुकसान होने, 10,000/- रूपये की सालाना आय होने नुकसान होने का गलत कथन दर्ज किया है। आवेदक शंकरलाल ना तो कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है ना ही 60,000/- रूपये कोई आय है ना ही आवेदक को अपनी स्वार्थ सिद्धी के आधार पर किसी प्रकार का कोई निर्माण तुड़वाने, ना ही स्थाई व्यादेश का अधिकार है, ना ही तथाकथित रूप से दावें मे चाही गई रिलीफ प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकार है। आवेदक का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है ना ही आवेदक [illegible] सुविधा का संतुलन है ना ही आवेदक को किसी प्रकार के पक्ष में सुविधा का संतुलन है ना ही आवेदक को किसी प्रकार प्रकार की अपूरणीय क्षति है। फलस्वरूप आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:12 IST
Reason: SelfAttested

:: अतिरिक्त ::

आवेदक ने प्रतिवादी संख्या 10 सचिव देवस्थान विभाग [illegible]र राजस्थान जिला जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू को वाद-पत्र में पक्षकार संयोजित किया है जो राजकीय कर्मचारी, अधिकारी व लोक सेवक है। कानूनन राजकीय कर्मचारी, अधिकारी व लोक सेवक के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है जैसा धारा 79, 80 जाप्ता दीवानी में प्राविधित है ना ही वाद-पत्र में आवेदक ने आवश्यक नेचर का वाद-पत्र होना प्रस्तुत किया है ना ही अन्तर्गत

धारा 80(2) जाप्ता दीवानी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है ना ही न्यायालय द्वारा कानूनन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अनुमति ली है इसलिए आवेदक का वाद पत्र/ प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है।

विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर धन्नाराम पुत्र मोहन का कब्जा है तथा हक अधिकार है आवेदक ने धनाराम पुत्र मोहन को वाद–पत्र/प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नही किया है जो आवश्यक पक्षकार है इसलिए पक्षकार संयोजित नही किया है। जो आवश्यक पक्षकार है इसलिए अन्तर्गत धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत आदेश 01 नियम 9 जाप्ता दीवानी के प्रोविजनों के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

आवेदक ने मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अनावेदक संख्या 2 व 3 सन् 2008 से काबिज है जबकि बेदखली की मियाद 12 वर्ष से है जो स्पष्ट रूप से वाद–पत्र व प्रार्थना पत्र को मियाद बाहर होना प्रस्तुत कर रहा है। विवादित भूमि पर अनावेदक संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त है तथा बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहे है कानूनन कब्जा धारक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। आवेदक का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा सहित खारीज फरमाया जावे।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने प्रार्थना पत्र व जवाब में दर्ज तथ्यों की पुनरावृति की गई। अधिवक्ता अनावदेक ने दौराने बहस सूची दस्तावेजे के साथ 9 दस्तावेजात प्रस्तुत किये जिन्हे शामिल मिसल किया। तथा अपने प्रतिरक्षा में न्यायिक दृष्टांत पेश आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ संख्या 576 पेश किया तथा अधिवक्ता आवेदक ने न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू. 2012(आर.जे.) पृष्ठ संख्या 1265 पेश किया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं आवेदक एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का व प्रस्तुत नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस मे वर्णित कथनों पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है :–**

यह है कि आवेदक शंकरलाल ने न्यायालय में ग्राम चारण की ढाणी में स्थित नए खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 हैक्टर के सम्बन्ध में मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी की खातेदारी की भूमि होना उल्लेख करके स्वयं को मूर्ति मंदिर श्री सीतारामजी शाश्वत नाबालिग का वाद मित्र/नेक्स्ट फ्रेण्ड होना अभिकथन करके उक्त भूमि के संबंध में एक वाद इश्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व स्थाई व्यादेश, बेदखली जमीन का प्रस्तुत किया है तथा साथ में उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निम्न रिलीफ डिमाण्ड की है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा [illegible] हैक्टर [illegible] अनावेदकगण न तो विक्रय करे और न ही छोटे–छोटे प्लाट काटकर [illegible] अकृषि में परिवर्तित करे तथा न ही वादग्रस्त भूमि में कच्चा पक्का निर्माण कर भूमि को वेस्ट व डेमेज करे, न ही भूमि की शक्ल सूरत परिवर्तित कर भूमि को खुर्द–बुर्द करे अथवा न ऐसा कृत्य अपने अधिनस्थ नौकर–चाकर, प्रतिनिधि आदि से करावे। वादग्रस्त भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदक शंकरलाल ने उक्त प्रार्थना पत्र में मूर्ति मंदिर की भूमि के प्रोटेक्शन के लिए स्वयं को निकट मित्र/नेक्स्ट फ्रेंड कथन किया है साथ ही मूर्ति मंदिर की तरफ से पीढ़ियों से काबित काश्त होने का अभिवचन किया है तथा कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:32:12 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (प्रा.है.)
मलवगढ

नम्बर पुराना 3315 रकबा 1 बीघा 5 बिश्वा, खसरा नम्बर 3316 रकबा 1 बीघा 13 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिश्वा भूमि को हमेशा से ही मन्दिर मूर्ति की तरफ से आवेदक व प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 8 के पूर्वज गणपत व मोहन काश्त करते थे, उक्त गणपत व मोहन से पूर्व उनकी माता नाथी देवी उक्त भूमि को काश्त करती थी, उक्त नाथी देवी के कोई सगा भाई नही था, इस कारण नाथी देवी अपने पीहर चारण की ढाणी में अपने पिता गीदाराम के घर पर ही अपने पति ज्वाला के साथ रहने लगी, ज्वाला की मृत्यु शादी के कुछ दिन बाद ही हो गई थी, इसके पश्चात नाथी देवी का नाता प्रथा द्वारा छोटू से नाता कर (शादी) दिया गया। इस प्रकार स्वर्गीय नाथी देवी के गणपत व मोहन पुत्र संतान पैदा हुई, जब गणपत की उम्र 10 वर्ष और मोहन की उम्र 6 वर्ष की थी तब छोटू का भी स्वर्गवास हो गया। इस कारण घर में पुरूष सदस्य के रूप में गणपत ही बड़ा था, इस कारण घर के व राज कार्य के काम गणपत ही करता था और गणपत के नाम से ही राजस्व रिकार्ड कही सही कही गलत अंकित होता रहा। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर पुराना 3315, 3316 के साथ स्व0द गण्पत व मोहन की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 3109 रकबा 10 बीघा 9 बिश्वा भी वाके ग्राम चारण की ढाणी तन परसरामपुरा में स्थित रही है। उक्त तीनों खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से अकेले गणपत के नाम से दर्ज होने के कारण स्वर्गीय गणपत के वारिसान द्वारा सेटलमेंट के दौरान एक प्रार्थना पत्र सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भू–प्रबन्ध विभाग नवलगढ़ के यहां कब्जे काश्त अनुसार पर्चा दिये जाने बाबत पेश किया और यह इश्तदुआ चाही कि उक्त तीनों खसरा नम्बरान में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 के पिता मोहन का हिस्सा 1/2 और 1/2 प्रतिवादी नम्बर 05 व 06 और प्रतिवादी नम्बर 07 व 08 के पिता महावीर का हिस्सा 1/2 दर्ज कर खातेदारी दे दी जावे। इस तथ्य की ताईद तत्कालीन सरपंच गोविन्द सिह द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि गणपत व मोहन पुत्र छोटूराम निवासी चारण की ढाणी दोने सगे भाई है, 1/2 व 1/2 खातेदार के हकदार है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 3315, 3316 जो मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम खातेदारी दर्ज होने के कारण सैटलमेंट के दौरान वापस मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज हो गई और पुराना खसरा नम्बर 3109 की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 04 लगायत 8 के नाम दर्ज हुई, उक्त खसरा नम्बर पुराना 3109 का इस वाद में कोई विवाद नही है। अनावेदक नम्बर 01 लगायत 3 का वादग्रस्त भूमि से कभी कोई ताल्लुक नही रहा है और ना ही कभी वादग्रस्त भूमि को काश्त किया है। वादग्रस्त भूमि को मूर्ति मन्दिर की ओर से पूर्व में गणपत व मोहन काश्त करते थे। राजस्व रिकार्ड में स्वर्गीय गणपत के नाम से दर्ज रही है तथा काश्त के लिये खसरा गिरदावरी में काश्त भी स्व0 गणपत के नाम से दर्ज रही है। प्रतिवादी नम्बर 4 विदेश में रहता है, जिसका उक्त वादग्रस्त भूमि हिस्सा 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 05 लगायत 8 का कब्जा काश्त रहा है, प्रतिवादी नम्बर 04 के विदेश रहने व आवेदक शंकरलाल अपनी मजदूरी के सिलसिले में दिल्ली रहता है और प्रतिवादी नम्बर 4 की पत्नी अपने पुत्र शंकरलाल के साथ [illegible] स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर अनावेदक नम्बर 1 लगायत [illegible] वादग्रस्त भूमि पर पत्थर व बजरी ईंटे व लोहे की टिन डालकर नाजायज कब्जा [illegible] दिनांक 15.08.22 को चालू कर दिया। साथ ही दर्ज किया है कि अनावेदकगण पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करने, कुछ भाग पर पुख्ता दुकानों का निर्माण कर भूमि की किस्म परिवर्तित कर छोटे–छोटे भूखण्डों को काटकर जरिये नोटेरी विक्रय कर कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर मंदिर की भूमि को खुर्द बुर्द करने का कथन किया है साथ ही अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 03 को बेदखल कर कब्जा आवेदक शंकर लाल ने स्वयं को दिलाने तथा तादौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:12 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.टै.)
नवलगढ़

अनावेदकगण ने जवाब में भूमि को मंदिर की होना अस्वीकार किया है तथा दौराने सैंटलमेंट बिना क्षेत्राधिकार के मंदिर मूर्ति के नाम गलत रूप से दर्ज करने का कथन किया है तथा उक्त भूमि गणपत पुत्र ज्वाला की होना दर्ज किया है। आवेदक व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 का पीढियों से कब्जा होना भी अस्वीकार किया है तथा जवाब में दर्ज किया है कि मंदिर कहा है, पुजारी कौन है, आवेदक को मंदिर ने कब किसके द्वारा भूमि दी काश्त हेतु बताने वाला कौन था कही उल्लेख नही किया है साथ ही दर्ज किया है कि गणपत पुत्र छोटू का उक्त खसरा नम्बर से कोई सरोकार नही है उक्त भूमि गणपत पुत्र ज्वाला के हक अधिकार व कब्जे काश्त में थी गणपत पुत्र ज्वाला मोहन पुत्र छोटू को अपने जीवनकाल में देकर चले गये गणपत पुत्र ज्वाला ना औलाद अविवाहित फौत हो गया था। गणपत, मोहन पुत्रान छोटू की माता नाथी देवी का उक्त भूमि से कोई सरोकार नही है ना ही कब्जा रहा है ना ही काश्त रही है ना ही राजस्व रिकार्ड में कभी खातेदारी नाथी के नाम रही है। आवेदक ने उक्त मद में सगा भाई नही होने पीहर चारण की ढाणी अपने पिता गीदाराम के घर ज्वाला के साथ रहने के कथन भी गलत दर्ज किये है। नाथी देवी के पति का नाम ज्वाला नही है ना ही ज्वाला से नाथी का कभी विवाह हुआ ना ही वाद–पत्र मे दर्ज किया है कि ज्वाला जन्म कब हुआ, विवाह कब हुआ, ज्वाला की मृत्यु कब हुई छोटू से नाता कब हुआ, गणपत मोहन का जन्म कब हुआ, छोटू की मृत्यु कब हुई जबकि राजस्व रिकार्ड शुरू से ही गणपत पुत्र ज्वाला के नाम से दर्ज है। यदि ज्वाला की मृत्यु हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से पहले हो गई तो क्या हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से पूर्व के आधार पर कानून लागू होगा वास्तव में आवेदक ने दावा प्रस्तुत करने की गलत से तमाम कथन काल्पनिक दर्ज किये है यदि विवादित भूमि गीदा की होती तो गीदा के नाम खातेदारी दर्ज होती गीदा से नाथी के नाम कोई राजस्व अभिलेख होता यदि नाथी के पिता की भूमि होती तो तथाकथित जंवाई ज्वाला के नाम अभिलेख कैसे बनता। कानूनन जंवाई का तो ससुर की सम्पति में राईट ही नही होता है वास्तव में आवेदक के तमाम कथन गलत कथनों को प्रमाणित करते है। उक्त भूमि गणपत पुत्र ज्वाला कौम खाती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। आवेदक मोहन पुत्र छोटू के वारिस है जिनकी खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम चारण की ढाणी में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 318, 323, 329, 332 है जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 के पूर्वज की वल्दीयत गणपत पुत्र छोटू दर्ज है जबकि विवादित भूमि गणपत पुत्र जुवाला के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। गणपत पुत्र जुवाला का ही कब्जा था गणपत पुत्र जुवाला से उक्त भूमि मोहन ने प्राप्त की मोहन के फौत होने पर 1/2 हिस्सा सुगनाराम ने तथा 1/2 हिस्सा धन्नाराम पुत्र मोहन ने प्राप्त की दोनो सगे भाई है सुगनाराम से अनावेदक संख्या 3 ने उसका 1/2 हिस्सा प्राप्त किया है तब से विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर अनावेदक संख्या 2 व 3 तथा 1/2 हिस्से पर धन्नाराम पुत्र मोहन काबिज काश्त है जिसके संबंध में तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट भी आई हुई है आवेदक व प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 को कोई कब्जा काश्त विवादित भूमि पर नही है प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 के पूर्वज का नाम गणपत पुत्र छोटू है तथा विवादित भूमि गणपत पुत्र जुवाला की थी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 के पूर्वज का नाम गणपत तथा विवादित भूमि का रिकार्ड गणपत के नाम होने के कारण आवेदक व प्रतिवादी ने गणपत पुत्र ज्वाला को अपना व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 के पूर्वज बताकर तथा गणपत पुत्र जुवाला के उतराधिकारी गलत रूप से बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक का हित मंदिर के हितार्थ ना होकर नीजि स्वार्थ हेतु व्यक्तिगत केपेसीटी का है। उक्त भूमि गणपत पुत्र ज्वाला की थी गणपत पुत्र ज्वाला नाऔलाद फौत हो गया गणपत पुत्र ज्वाला की सुश्रुषा मोहन पुत्र छोटू करता था तथा उसका खेत भी मोहन ही काश्त करता था इसलिए भूमि खसरा नम्बर 328 को गणपत पुत्र ज्वाला मोहन पुत्र छोटू को देकर चला गया। विवादित भूमि गणपत पुत्र ज्वाला के नाम से दर्ज है। गणपत पुत्र ज्वाला का ही कब्जा था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:32:12 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

सैटलमेंट विभाग ने दौराने सैटलमेंट मन्दिर के नाम से रिकार्ड बना दिया मोहन के दो पुत्र सुगनाराम जो आवेदक का पिता है व धनाराम पैदा हुये तथा दोनो 1/2–1/2 हिस्से को मोहन की मृत्यु उपरान्त काश्त करने लगे सुगनाराम को रूपये की आवश्यकता थी इसलिए सुगनाराम ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 329, 332, 323 व 328 मे से रकबा 0.46 हैक्टर क सौदा प्रतिवादी संख्या 2 से किया। सुगनाराम को विदेश जाना था इसलिए सुगनाराम ने अनावेदक संख्या 1 के पक्ष में एक रजिस्टड पॉवर ऑफ अर्टोनी भूमि खसरा नम्बर 329, 332, 323 बाबत निष्पादित की तथा खसरा नम्बर 328 रिकार्ड गलत रूप से मन्दिर के नाम होने के कारण एक पॉवर ऑफ अर्टोनी अनरजिस्टर्ड निष्पादित की तथा दिनांक 08.05.2008 को भूमि खसरा नम्बर 323, 332, 329 मे से रकबा 0.17 हैक्टर भूमि का विक्रय पत्र भी निष्पादित करवा दिया जो खातेदारी में सुगनाराम के नाम से दर्ज थी तथा भूमि खसरा नम्बर 328 कीा खातेदारी में दर्ज नही होने के कारण एक लिखा पढ़ी की गई इस प्रकार खसरा नम्बर 328 मे से रकबा 0.29 हैक्टर भूमि सुगनाराम ने प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये पॉवर ऑफ अर्टोनी अनावेदक संख्या 1 के द्वारा विक्रय की गई जिस पर अनावेदक संख्या 3 परिवार सहित आबाद है तथा 1/2 हिस्से पर धन्नाराम पुत्र मोहन काबिज है आवेदक प्रतिवादी संख्या 4 की संतान है प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा विक्रय किया गया है कब्जा दिया गया है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सुगनाराम ने दिनांक 28.03.2005 को भी रकबा 0.22 हैक्टर का एक विक्रय पत्र अनावेदक संख्या 3 के नाम से निष्पादित करवाया है आवेदक ने खसरा नम्बर 323, 332, 329 के संबंध में निष्पादित विक्रय पत्रों को भी न्यायालय में चुनौती दी है तथा अब खसरा नम्बर 328 मे से बेची गई भूमि को प्रश्नगत कर रहा है जबकि विक्रय की गई सम्पति पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 परिवार सहित काबिज है। पटवारी हल्का ने भी कब्जा माना है सर्वे में भी अनावेदक संख्या 2 के नाम से कुआ होना व विधुत संबंध भी जारी है जो सैटल पजेशन का परिचायक है। आवेदक का विवादित सम्पति से कोई संबंध नही है एक तरफ आवेदक स्वयं को अधिकारी होना दर्ज कर रहा है दूसरी तरफ मन्दिर की भूमि होना दर्ज कर रहा है जो एक दुसरे के विरोधाभाषी कथन है। आवेदक अनावेदक संख्या 2 व 3 से रंजिश रखता है जो कृषि भूमि क्रय की है उससे भी चुनौती दी है और अब अपने पिता द्वारा नाबालिक अवस्था में विक्रय की गई सम्पति को प्रश्नगत कर रहा है वर्तमान रिकार्ड मन्दिर के नाम से दर्ज है तो फिर आवेदक कौनसे अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है स्पष्ट नही किया है आवेदक ने बिना कब्जा काश्त बिना अधिकारिता के व्यक्तिगत स्वार्थ से निहित होकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। खसरा नम्बर 328 मे से सुगनाराम का 1/2 हिस्सा अनावदेक संख्या 2 ने क्रय किया है बाकायदा सहमति के आधार पर कब्जा दिया गया है। आवेदक सुगनाराम का पुत्र है जो पिता द्वारा किये गये कार्य से विबंधित है। सुगनाराम घर का कर्ता खानदान था उसके द्वारा किया गया विक्रय आवेदक व उसकी बहन के विरूद्ध विबंधकारी है उक्त भूमि कृषि भूमि है कृषि भूमि में 1/50 हिस्से तक निवास करने के लिए भण्डारण के लिए पशुपालन के लिए उतरदाता संख्या 2 व 3 को निर्मा[illegible]कार है आवेदक शंकरलाल का विवादित भूमि पर कब्जा नही है [illegible] आवेदक [illegible]पाल [illegible] कोई विधिक अधिकार है इसलिए कानूनन कब्जाधारक के विरूद्ध अर्थात् [illegible] है। अनावेदकगण ने अतिरोक्तर में दर्ज किया है कि आवेदक ने प्रतिवादी संख्या 10 सचिव देवस्थान विभाग जयपुर राजस्थान जिला जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू को वाद[illegible] में पक्षकार संयोजित किया है जो राजकीय कर्मचारी, अधिकारी व लोक सेवक है। कानूनन राजकीय कर्मचारी, अधिकारी व लोक सेवक के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है जैसा धारा 79, 80 जाप्ता दीवानी में प्राविधित है ना ही वाद–पत्र में आवेदक ने आवश्यक नेचर का वाद–पत्र होना प्रस्तुत किया है ना ही अन्तर्गत धारा 80(2) जाप्ता दीवानी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा कानूनन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अनुमति ली है इसलिए आवेदक का वाद पत्र/प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है। विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर धन्नाराम पुत्र मोहन का कब्जा है तथा हक अधिकार है आवेदक ने धनाराम पुत्र मोहन को वाद–पत्र/प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नही किया है जो आवश्यक पक्षकार है इसलिए पक्षकार संयोजित नही किया है जो आवश्यक पक्षकार इसलिए अन्तर्गत धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत आदेश 01 नियम 9 जाप्ता दीवानी के प्रोविजनों के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। आवेदक ने मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अनावेदक संख्या 2 व 3 सन् 2008 से काबिज है जबकि बेदखली की मियाद 12 वर्ष से है जो स्पष्ट रूप से वाद–पत्र व प्रार्थना पत्र को मियाद बाहर होना प्रस्तुत कर रहा है। विवादित भूमि पर अनावेदक संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त है तथा बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहे है कानूनन कब्जा धारक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। दौराने बहस अनावेदकगण ने उज्र उठाया कि आवेदक को वादमित्र किसने नियुक्त किया जबकि आदेश 32 सीपीसी के तहत वाद मित्र के लिये आवेदक शंकर लाल ने ना तो आवेदन पेश किया ना ही न्यायालय द्वारा वाद मित्र नियुक्त किया गया है इसलिए दावा चलने योग्य नही है। वहां प्रार्थना पत्र के माध्यम से पाबंद नही किया जा सकता है प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया।

यहां उल्लेखनीय है कि अनावेदकगण ने खसरा नम्बर 3316 की जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2031 की पेश की है जिसमें खसरा नम्बर 4398, 4398 से 328 बने है जिसमें उपभोक्ता का नाम किशन सिह वगैरह भोलूराम पुत्र हरदेवा तथा कृषक के खाने में गणपत का नाम दर्ज है मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज रिकार्ड नही है इसलिए 3316 खसरा नम्बर मंदिर की नही है सैंटलमेंट के दौराने कैसे मंदिर के नाम आई उल्लेख नही है जबकि सैटलमेंट को खातेदारी परिवर्तित करने का क्षैत्राधिकार नही था। स्वयं अनावेदकगण भी खसरा नम्बर 328 के 1/2 भाग पर कब्जा होना उल्लेख कर रहे है जो आवेदक शंकरलाल की नाबालिग अवस्था में शंकर लाल के पिता ने ही विक्रय किया है इसलिए आवेदक का अनावेदकगण द्वारा नाजायज कब्जा करने के तथ्य को प्रमाणित नही करता है। अनावेदकगण ने खसरा नम्बर 318, 323, 329, 332 की जमाबंदी पेश की है जिसमें आवेदक शंकरलाल व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 के पूर्वज का नाम छोटू है जबकि विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड गणपत पुत्र ज्वाला के नाम से है। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सागर बनाम सरदारा पेश किया था, जिसमें गणपत पुत्र ज्वाला के वारिस होना दर्ज किया है जबकि राजस्व रिकार्ड में पूर्वज की वल्दियत छोटू है, जो विवादित भूमि से आवेदक का पीढियों से कब्जा होने को प्रश्नगत करता है जबकि कब्जा वर्तमान में अनावेदक संख्या 2, 3 का है जिसे आवेदक स्वयं स्वीकार कर रहा है बेदखली की इश्तदुआ चाही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश की गई है जिसके अनुसार अनावेदकगण संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्से पर कब्जा है तथा 1/2 हिस्से पर धन्नाराम का कब्जा है। आवेदक व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 का मौके पर कब्जा ... नाजायज कब्जा होता तो आवेदक शंकर लाल के पिता ने वहीं मे ... अनुसार मौके पर दुकानों का निर्माण कर भूमि के टुकडे टुकडे कर नोटरी से ... बेचने का तथ्य नही आया है। अपितु पशुओं के लिए बाड़ा बनाने की रिपोर्ट आई है जो आवेदक ... आपति को प्रमाणित नही करता है। आवेदक शंकरलाल ने प्रार्थना पत्र में प्लीडिंग की है कि मंदिर की और से पीढियों से काबिज काश्त है जबकि कब्जा नही है, एक तरफ पीढियों से काबिज होना, स्वयं को कब्जा देने का कथन किया है जब मंदिर के हितार्थ दावा किया तो स्वयं के नीजि उपयोग के लिए भूमि के कब्जे की डिमाण्ड करना, वादमित्र की श्रेणी का परिचायक नही है बल्कि निजी स्वार्थ को प्रकट करता है। यहां पर यह भी दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:12 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)

किया जा रहा है कि शंकर लाल मंदिर के हितार्थ वाद मित्र कैसे है, न तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश किया है ना ही न्यायालय से स्वीकृति ली है, ना ही न्यायालय द्वारा वाद मित्र नियुक्त किया गया हैं। निजी स्वार्थ के लिए कब्जे की मांग करना मंदिर के हितार्थ वाद मित्र होना नही माना जा सकता है जबकि पुराने खसरा नम्बर 3316 तो मंदिर के नाम थी न ही सैंटलमेंट द्वारा मंदिर के नाम करने से खातेदारी अधिकार खत्म नही होते है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र में वाद पत्र के समान पक्षकार संयोजित नही किये है, यथा सचिव देवस्थान विभाग जयपुर, जिला कलक्टर झुन्झुनू को पक्षकार बनाया हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक ने इनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व कानूनन 2 माह पूर्व का धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस भी नही दिया है ना ही अन्तर्गत धारा 80(2) के तहत वाद के लिए अनुमति ली है जो स्पष्ट रूप से विधि के सिद्धांतो की अवज्ञा है। शंकरलाल ने न्यायालय में अपने पिता द्वारा ली गई भूमि को पूर्ववर्ती वाद शंकर लाल बनाम रूकमणी के द्वारा चुनौति दी गई है जो सन् 2008 के विक्रय के बाबत है तथा 2008 मे ही विवादित भूमि शंकर लाल के पिता ने अनावेदक संख्या 3 को विक्रय की है। 2008 से दिये गये कब्जे को वर्तमान में नाजायज कब्जा बताया है जो प्रासंगिक प्रतीत नही होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा की मियाद 3 साल है जबकि 2008 के पश्चात 2022 में उक्त वाद पेश किया गया है जबकि बेदखली की मियाद भी 12 साल है। पूर्व से वाद पेश करना तथा अब विवादित भूमि के बाबत विवाद करना आवेदक शंकर लाल को बदनीयति को साबित करता है जो मंदिर की आड़ में स्वयं की व्यक्तिगत सिद्धि के लिए कब्जा की मांग करना है। दस्तावेजी साक्ष्य से वर्तमान में आवेदक शंकरलाल का कब्जा नही है ना ही वाद मित्र होना साबित है। ना ही विधि की वर्णनाओं की पालना की गई है। इस प्रकार कानूनन कब्जा धारक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नही होता है जैसा कि अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर. आर.डी. 2002 पृष्ठ 576 में प्रतिपादित किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करने से पहले कब्जा किस पक्षकार का है उसके आधार पर तय करना होता है। फलस्वरूप आवेदक का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है ना ही आवेदक के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु बनना पाया जाता है।

- **अपूरणीय क्षति** :– चूंकि आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु बनना नही पाये गये है इसिलए आवेदकगण को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति घटित होना प्रतीत नही होती है। यदि अनावेदकगण को पाबन्द किया जाता है तो अनावेदकगण को अपूरणीय क्षति होगी।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदक का प्रार्थना [illegible] निषेधाज्ञा पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार हो [illegible] दर्ज [illegible] र से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:52:12 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू